Impact Factor 3.025

ISSN 2349-638x

Refereed And Indexed Journal

AAYUSHI INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (AIIRJ)

UGC Approved Monthly Journal

VOL-IV ISSUE-XII Dec. 2017

Address
· Vikram Nagar, Boudhi Chouk, Latur.
· Tq. Latur, Dis. Latur 413512 (MS.)
· (+91) 9922455749, (+91) 8999250451

Email
· aiirjpramod@gmail.com
· aayushijournal@gmail.com

Website
· www.aiirjournal.com

CHIEF EDITOR – PRAMOD PRAKASHRAO TANDALE

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal (AIIRJ)
UGC Approved Sr.No.64259
Vol - IV Issue-XII DECEMBER 2017 ISSN 2349-638x Impact Factor 3.025

अल्पसंख्यांक महिलाओं की स्थिति
(मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में)

डॉ.कृष्णात आनंदराव पाटील
हिंदी विभाग,
श्री.शिव–शाहू महाविद्यालय, सरूड
ता. शाहुवाडी, जि. कोल्हापुर.

अक्सर मुस्लिम औरतों की हैसियत को उनके व्यक्तिगत कानूनों के दायरों से बाहर आकर नहीं देखा जाता रहा। इसलिए बहस के केन्द्र में 'औरत' की जगह कभी 'रिवाज' तो कभी 'मौलवी' हावी हो जाते रहे। इसी तरह नौकरियों के मामले में, मुस्लिम औरतों के पिछड़ेपन को लेकर कभी 'धार्मिक' तो कभी 'सांस्कृतिक' जड़ों में जाया जाता रहा, जबकि मुनासिब मौकों या सहुलियतों की बातें जाने कहां गुम होती रहीं। असल में मुस्लिम औरतों के मामलों की पड़ताल के समय, उसके भीतरी और बाहरी समुदायों के अंतर्द्वंद्व और अंतर्संबन्धों को समझने की जरूरत है।

मीडिया के कई सारे किस्सों से भी जान पड़ता है कि मुस्लिम औरतों के हक किस कदर 'धर्मनिरपेक्षता' और 'लोकतांत्रिकता' की बजाय 'साम्प्रदायिकता' और 'राष्ट्रीयता के बीचोबीच झूल रहे हैं। यह सच है कि दूसरे समुदायों जैसे ही, मुस्लिम समुदाय के भीतर का एक हिस्सा भी दकियानूसी रिवाजों के हवाले से प्रगतिशील विचारों को रोकता रहा है। इसके लिए वह 'आज्ञाकारी औरत' की छवि को दूसरा नाम देकर अपना राजनीतिक मतलब साधता रहा है। दूसरी तरफ, यह भी कहा जाता है कि पश्चिम की साम्राज्यवादी ताकतें दूसरे समुदाय की नकारात्मक छवियों को अपने फायदे के लिए प्रचारित करती रही हैं। ऐसे में इस्लाम की दुनिया में औरत की काली छाया वाली तस्वीरों का बारंबार इस्तेमाल किया जाना जैसे किसी छुपे हुए एजेंडे की तरफ इशारा करता है।

भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 40 प्रतिशत है, इसमें मुस्लिम महिला मात्र 11 प्रतिशत है। हाई स्कूल तक शिक्षा प्राप्त करने वाली इन महिलाओं का प्रतिशत मात्र 2 हैं और स्नातक तक का प्रतिशत 0.81 मुस्लिम संस्थाओं द्वारा संचालित स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर मुस्लिम लड़कों का अनुपात 56.5 फीसदी है, छात्राओं का अनुपात महज 40 प्रतिशत है। इसी तरह मिडिल स्कूलों में छात्रों का अनुपात 52.3 है तो छात्राओं का 30 प्रतिशत है।

मुस्लिम औरतों के पिछडेपन की वजह हमेशा इस्लाम में ढूँढने की कोशिश की जाती रही है। इस्लाम कहता है, पिता या पति की संपत्ति की उत्तराधिकारी वो भी है। वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। हाँ, माँ–बाप की सहमति को शुभ माना गया है। उसे तलाक लेने का भी अधिकार है। विधवा महिला भी विवाह कर सकती है। अगर मुस्लिम महिला नौकरी या व्यवसाय करती है तो उसकी आय या जायदाद में उसके पिता, पति, पुत्र या भाई का कोई वैधानिक अधिकार हासिल नहीं रहता। साथ ही उसके भरण–पोषण का जिम्मा परिवार के पुरूष सदस्यों पर ही कायम रहता है।

इसके अतिरिक्त भी कई सुविधाएँ और अधिकार इस्लाम ने महिलाओं को दिए हैं जो इस बात के गवाह हैं कि उनके अनपढ़ रहने या पिछडेपन के लिए धर्म के नियम–कानून बाधक नहीं हैं। इसके बावजूद उनकी हालत संतोषजनक कतई नहीं है. इसका मूल कारण पुरूष सत्तावादी समाज है। महिलाएं चाहे जिस वर्ग, वर्ण, समाज कि

हों, सबसे ज्यादा उपेक्षित हैं, दमित हैं, पीडित हैं। इनके उत्थान के लिए बाबा साहब भीमराव आंबेडकरजी ने महिलाओं के लिए आरक्षण की वकालत की थी। महात्मा गाँधीजी ने देश के उत्थान को नारी के उत्थान के साथ जोडा था। पहली महिला न्यायाधीश बी फातिमा, राजनेता मोहसिना किदवई, नजमा हेपतुल्लाह, समाज–सेविका–अभिनेत्री शभाना आजमी, सौन्दर्य की महारती शहनाज सुसैन, नाट्यकर्मी नादिरा बब्बर, पूर्व महिला हाकी कप्तान रजिया जैदी, टेनिस सितारा सानिया मिर्जा, गायन में मकाम–बेगम अख्तर हो ही सकते हैं की यदि इन औरतों को भी उचित अवसर मिले तो वो भी देश–समाज की तरक्की में उचित भागीदारी निभा सकती हैं। लेकिन सच तो यह है कि फातिमा बी या सानिया या मोहसिना जैसी महिलाओं का प्रतिशत बमुश्किल इक भी नहीं है। अनगिनत शाहबानो, अमीना और कनीज अँधेरी सुरंग में रास्ता तलाश कर रही हैं।

मुस्लिम महिलाओं के पिछडेपन की प्रधान वजह उनके बीच शिक्षा का प्रचार–प्रसार का न होना है। हर दौर में अनपढ़ को बेवकूफ बनाया गया है। अनपढ़ रहकर जीना कितना मुहाल है, ये अनपढ़ ही जानते हीं। पढ़–लिखों के बीच उठने–बैठने में, उनसे सामंजस्य स्थापित करने में बहुत कठिनाई रहती है। मुस्लिम औरतों का इसी कारण चौतरफा विकास नहीं हो पाता। वो हर क्षेत्र में पिछड़ जाती हैं। प्राय:कम उम्र में उनकी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद शुरू होता है, घर–गृहस्ती का जंजाल। फिर तो पढ़ाई का सवाल ही नहीं।

गलत नहीं कहा गया है कि पहली शिक्षक माँ होती है। लेकिन मुस्लिम औरतों कि बदकिस्मती है कि वह चाह कर भी अपने बच्चों को क ख ग या अलिफ बे से पहचान नहीं करा पातीं।

परदा–प्रथा इनके अनपढ़ रहने के कारकों में अहम् है। ये कहना काफी हद तक सही है। उसे घरेलु शिक्षा–दीक्षा तक सीमित कर दिया गया है। और ये शिक्षा–दीक्षा भी सभी को नसीब नहीं। पढने के लिए महिलाओं को बाहर भेजना मुस्लिम अपनी तौहीन समझते हैं। और इसे धर्मसम्मत भी मानते हैं। हर मामले में धर्म को घसीट लाना कहाँ कि अक्लमंदी है। जबकि इस्लाम के शुरूआती समय में भी औरतें घर–बाहर हर क्षेत्र में सक्रीय रही हैं। इस्लाम में महिलाओं पर परदा जायज करार दिया तो है लेकिन इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि चौबीस घंटे वो बुर्के में –छुपी रहें।। बुर्का या नकाब का चलन तो बहुत बाद में आया।

देश में मुस्लिमों के पारिवारिक कानून में सुधार व मुस्लिम निजी कानून को संहिताबद्ध किए जाने की मांग अब जोर पकड़ रही है। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन से जुड़ी मुस्लिम महिला शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, कानून एवं सेहत के मद्दों पर जागरूकता लाने का काम कर रही हैं। सियासी दल अल्पसंख्यक के रूप में मुस्लिमों को आरक्षण देने की वकालत तो करते हैं लेकिन महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर चुप्पी साध लेते हैं। पारिवारिक परामर्श केंद्र में पारिवारिक बिखराव के जितने भी मामले आते हैं वह ज्यादातर मुस्लिम परिवारों के ही होते हैं। २१ वीं सदी में बिना किसी सुधार के डेढ़ हजार साल के कानून में सुधार जरुरी है।

पर्सनल लॉ आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष भारत में मुस्लिम महिलाओं को एक नागरिक के रूप में मिले अधिकारों को नकारता है। अगर हम इसी देश में ही अलग अलग समुदायों के औरतों के लिए बने कानूनों को देखें तो इसमें भारी अंतर पाते है – मुस्लिम कानून में पुरूष को कई पत्नियाँ रखने का हक है जबकि हिन्दू, ईसाई व पारसी एक ही पत्नी रख सकते हैं। मुस्लिम लॉ में तलाक के लिए अदालत जाने की जरूरत नहीं है जबकि बाकी धर्म के लोगों को अदालत में खास कारणों से ही तलाक मिल सकता है। मुस्लिम लॉ में पत्नी को कभी भी बिना कारण तलाक दिया जा सकता है, पर ऐसा बाकी धर्मो के मानने वाली स्त्रियों के साथ नही किया जा सकता है। लेकिन यह सब कुछ हमेशा से ऐसा नहीं था। आजादी के समय इन स्त्रियों की स्थिति विपरीत थी, तब हिंदू समाज में पुरूषों को एक से ज्यादा शादी करने की छूट थी, तलाक का अधिकार नहीं था, विधवाओं को दोबारा शादी करने की आजादी नहीं थी और उन्हें संपत्ति से भी वंचित रखा गया था। इन सब में बदलाव हिंदू कोड बिल की

वजह से संभव हो सका। समाज की इन रूढिवादी परंपराओं को तोडने के लिए बाबा साहेब आंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता आगे आये जिन्होंने हिंदूवादी संगठनों के तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए इसकी वकालत की थी।

करीब ४० बरस पहले सारी दुनिया की औरतों ने जुल्म के खिलाफ और अपने हक हासिल करने की लडाई लडने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन की बुनियाद रखी,इस अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन का गहरा असर दुनिया के दूसरे मुस्लिम मुल्कों और खासतौर पर मुस्लिम औरतों पे पडना ही था। ऐसे बहुत सारे मुसलमान जो अपने समाज में बदलाव चाहते हैं, जिनका मानना है कि मुस्लिम औरतों को पीछे रखने और उनके हक न देने के नतीजे में मुस्लिम समाज को बडा नुकसान पहुंचा है–बडी तादाद में है। ऐसे लोगों का यह भी मानना रहा है कि मुस्लिम औरतों की तरक्की के वगैरे पूरे मुस्लिम समाज की तरक्की नामुमकिन है जो सच भी है। आज ऐसी सोच रखनेवाले उलेमा, इस्लामिक स्कालर और बुद्धिजीवी दुनिया के कोने–कोने में मौजूद हैं।

औरतों की बराबरी की बात करने वाले अक्सर ये सवाल उठाते हैं क्या इस्लाम के दायरे में रहते हुए मुस्लिम औरतों को बराबर का हक मिलना मुमकिन है? इस बारे में मुसलमानों के बीच ३ तरह की सोच देखने को मिलती है। पहली सोच उन उलेमाओं की है जिनका दावा है कि इस्लाम दुनिया का पहला मजहब है जिसने औरतों को इंसानी अधिकार दिए हैं। आज अगर इसमें कोई कमी नजर आ रही है तो उसके लिए इस्लाम नही बल्कि मुसलमान जिम्मेदार है. दुसरी सोच कहती है कि इस्लाम में औरतों को बराबरी का अधिकार मिलना नामुमकिन है। ऐसी सोच रखने वाले मानते हैं कि औरतों को बराबरी का अधिकार सिर्फ सेक्यूलर–डेमोक्रेटिक समाज में ही मिल सकता है। इन सबके बीच एक तीसरी समझवाले भी हैं जिनका मानना है कि इस्लाम के बुनियादी उसूलों और सेक्यूलर–डेमोक्रेसी के बुनियादी उसूलों में कोई आपसी टकराव नहीं हैं। ऐसी सोच रखने वालों का मानना है कि इस्लाम की बुनियादी तालीम औरतो और मर्दो को बराबरी का हक देती है। दिक्कत इस्लामी मजहब में नहीं बल्कि मर्यवादी भारतीय सामाजिक व्यवस्था में रचे बैसे उन लोगों की समझ में है जिन्होंने देश की भौगोलिक परंपराओं और रुढियों को इस्लाम का लिबास पहना रखा है। तीसरी सोच रखने वाले मुसलमानों का मानना है कि आज जरुरत इस बात की है कि मुसलमान इन , औरत विरोधी (मानसिकता) को ठुकराकर कुरआन और सुन्नत की उस तालीम को अपना लें जो औरतों को बराबरी के हक देने की हिमायत करती हैं।

एक मुसलमान औरत जिसे उसके रब ने 1400 बरस पहले ही तमाम तरह के सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक राजनैतिक मामलों में बराबरी से नेतृत्वकारी मकाम और फैसले लेने का हक देकर मर्द के साथ ही (श्रेष्ठ मानुस) का दर्जा दे दिया है. वे ही मुसलमान औरतें आज इस मर्दवादी, गैर इस्लामी समाज की सडी–गली रुढ़ियों और परंपराओं की बेडियों में जकडी, हर लेहाज से बेबस, माजूर, मजबूर और बदतर नजर आ रही हैं। कुरआन में मौजूदा दौर और हालात के मुताबिक (विचारमंथन) के लिए काफी गुंजाइश दी गई है। कुरआन की नजर में औरतें अछूत या दोयम दर्जे की वस्तु नहीं हैं– मानवीय अधिकारों के हिफाजत की जिम्मेदारी उनके रिश्तेदार मर्दो (कुरआन में लिखित तौर पे) के सुपुर्द कर दी गई है। जो रहती दुनिया तक टलने वाली नहीं है।

जरुरत इस बात की है कि मुसलमान औरतें अपने घरों में रखी हुई उस किताबे हिदाया (राह दिखाने वाली) कुरआन को समझने और जानने की कोशिश करें कि उसमें लिख दिए गए उसके हक कौन और क्यो छीन रहा है? साथ ही कुरआन और सही हदीसों की रौशनी में अपने हक हासिल करें क्योंकि कुरआन उनके परिवार के जिम्मेदार मर्दो को साफ तौर पर हुक्म दे रहा है–''जो कुछ उनका है उन्हें खुशी–खुशी दे दिया करो।'' इसलिए भारतीय मुस्लिम औरतों की जिम्मेदारियाँ अब बढ़ गई हैं। उन्हें एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के नाते अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नागरिक, धार्मिक और मानवीय हकों को जानना होगा, पहचानना होगा और

उन्हें संरक्षित करने के लिए सरकारों और अपने रिश्तेदार मर्दों को जगाना होगा। इसके लिए उन्हें संगठित होकर आगे बढ़ना होगा। क्योंकि खुद बदल जाएगा सब ये सोचना बेकार है–सबकुछ बदल देने की अब शुरूआत करनी चाहिए...!

संदर्भ

1 साधना अग्रवाल वर्तमान – वर्तमान हिंदी महिला कथा लेखन और दांपत्य जीवन वाणी प्रकाशन –दिल्ली
2 डॉ.कविता पटेल – समकालीन हिंदी नाटकों में सामाजिक चेतना मयुर प्रकाशन –दिल्ली
3 डॉ. मीना जोशी –प्रतिनिधी –महिला कहानिकारों में चित्रित नारी शैलजा प्रकान –कानपुर
4 डॉ.भारती शेळके – साठोत्तरी लेखिकाओं की कहानियोंमें परिवार विद्या प्रकाशन–कानपुर
5 मंजु शर्मा – साठोत्तरी महिला कहानिकार राधा पब्लिकेशन ,नई दिल्ली

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com